

- b. The Private Security Agencies (Regulation) Bill, 2005.
- c. The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Bill, 2005.

3. Consideration and passing of the following Bills, after they have been passed by Lok Sabha:

- a. The Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2005.
- b. The Right to information Bill, 2004.
- c. The Bihar VAT Bill, 2005.

GOVERNMENT BILL

The University of Allahabad Bill, 2004 (Contd.)

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद, उपसभापति महोदय। मैं मानव संसाधन मंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए यह एक बहुत लंबी, प्रतीक्षित मांग थी। इस मांग को इस सदन में और बगल के सदन में कई माननीय सदस्यों ने उठाया है जोकि बड़े-बड़े ओहदों पर चले गए। वे कई बार मंत्री बने, मानव संसाधन मंत्री भी बने और कई राज्यों के राज्यपाल बने। माननीय टीएन चतुर्वेदी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, सत्य प्रकाश मालवीय जी और इस तरह के कई नाम हैं। महोदय आज मैं उन लोगों को इसलिए स्मरण कर रहा हूँ क्योंकि इस लक्ष्य को हासिल करने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था।

उपसभापति महोदय, इलाहाबाद का अपना एक गौरव है, लेकिन यह गौरव किसी शहर को विश्वविद्यालय से नहीं मिला करता। यह गौरव वहाँ का भूगोल और सब कुछ मिलकर दिया करता है। हवा, पानी, नदी और पहाड़ दिया करते हैं और इस गौरव के तहत इलाहाबाद की नदियाँ जो आपस में मिलती हैं, इलाहाबाद के लोगों और इलाहाबाद के माफत देश के लोगों को आपस में मिलकर चलना सिखाती हैं। महोदय, गंगा का पानी बहुत कम होता है और जमुना का पानी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब दोनों मिलती हैं तो जमुना के पानी का पता नहीं चलता, केवल गंगा का पानी ही दिखायी देता है। एक किलोमीटर दूर से जमुना दिखायी नहीं पड़ती। ऐसी समर्पण की भावना इलाहाबाद में होती थी और उस समर्पण में एक टकराव भी होता था। जहाँ गंगा और जमुना का टकराव हुआ, उसी इलाहाबाद में एक तरफ स्वराज भवन में गांधी जी का चरखा चलता था और दूसरी तरफ कंपनी बाग में चन्द्रशेखर आजाद के पिस्तौल से गोली निकलती थी, लेकिन यह टकराव एक ही मकसद के लिए होता था इलाहाबाद के लोगों को साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम में और हर तरह से आगे बढ़ाने में इलाहाबाद की मिट्टी, वहाँ के हवा, पानी, वहाँ की नदियों का योगदान था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी उस योगदान का प्रतिफल था। आजादी की लड़ाई में किसी विश्वविद्यालय से जुलूस लेकर जाते हुए एक लड़का, पुलिस की गोली से विश्वविद्यालय से निकलते ही मारा गया था वह माननीय अर्जुन सिंह जी के प्रदेश के रीवाँ का लड़का लाल पदमधर शहीद हुआ था। उन लड़कों के सपने थे कि मुल्क आजाद होगा तो विश्वविद्यालय तरक्की करेगा उपसभापति

महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह विश्वविद्यालय इस समय तनज्जुली के आलम में है! उसकी रूपरेखा बिगड़ी हुई है। अब इस बिल से वहां एक उम्मीद बंधी है। इस बिल से अलग-अलग किस्म के लोगों की अलग-अलग उम्मीदें हैं। अध्यापक समझता है कि उसकी Salary कुछ बढ़ जाएगी, कर्मचारी समझता है कि उसकी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन असल सवाल यह है कि जो विश्वविद्यालय से निकला करता है, उसको क्या मिलेगा? महोदय, विश्वविद्यालय से प्रतिभा निकलती है। यह सच है कि वर्तमान युग में विश्वविद्यालय की पढ़ाई का मतलब नौकरी हुआ करता है। कोई बढ़िया-सा काम। यह विश्वविद्यालय की पढ़ाई का बहुत ही घातक रूप है। विश्वविद्यालय की पढ़ाई का मतलब होना चाहिए था प्रतिभा, जिसे अंग्रेजी में एक्सलेंस कहते हैं। पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक कमाई यह भी हुआ करती थी कि कितने कलक्टर निकले, कितने कप्तान निकले, लेकिन यह आजकल जे.एन.यू., दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह का एप्रोच बन गया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कलक्टर, कप्तान निकालती थी, तो साहित्यकार भी निकालती थी, राजनेता भी निकालती थी। हम जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई प्रधानमंत्री इस सदन में आकर बयान दे चुके हैं। यूनिवर्सिटी कलाकार भी निकालती थी और कवि भी निकालती थी। जब आपने यह बिल लाया है तो अध्यापकों की सुविधाएं, इमारत का किस प्रकार सुधार हो, आपकी वित्त समिति क्या करे, इस पर तो हम बहुत बात नहीं करेंगे, किन्तु सुविधा मिले या न मिले, यह मेरे बहस का रूप नहीं है। हमने बिल में पढ़ा है कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, कितना आगे बढ़ाएंगे। हम केवल यह जानना चाहेंगे कि क्या आप वहां के विद्यार्थियों की प्रतिभा के लिए, उनकी प्रतिभा के विकास के लिए, उसको आदर्श विश्वविद्यालय बनाने के लिए तैयार हैं? प्रतिभा का विकास, प्रतिभा की खोज के बारे में, इस बिल में कहीं नहीं है कि कैसे किया जाएगा? रही बात कि आज तक आदमी जितना जानता है, उससे नई बात ढूंढने की एक इच्छा हुआ करती है। मैं जानता हूँ कि पुरानी पीढ़ी की मान्यता से बाहर जाकर जब नई उम्र का आदमी कोई नई खोज करने जाता है या वह आगे बढ़ता है तो उसको डिसिप्लिन, अनुशासन की परिधि में लाया जाता है। हमने अनुशासन वगैरह के बारे में कई जगह ऐसा देखा है। हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में स्पष्ट करें कि हमारे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जो कुछ भी आज तक जानता है, उससे आगे की बात हम सोचना चाहें, उससे क्वेरी करें, तो क्या हम अनुशासन की परिधि में जाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि पुरानी पीढ़ी-नई पीढ़ी से कैसे टकिया करती है, नई पीढ़ी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती यह रोग हर विश्वविद्यालय के स्तर पर लगा हुआ है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक जनतांत्रिक प्लेटफार्म पर बहस कर रहे हैं। यह संसद देश की और दुनिया की सर्वोपरि जनतांत्रिक संस्था है। उपसभापति महोदय, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जनतांत्रिक स्वरूप कायम रहेगा? यह गारंटी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी वीकेआरवीराव साहब के जमाने में थी, उसका जनतांत्रिक स्वरूप खत्म किया गया था। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि हम उसको छः महीने के भीतर पुरानी राह पर लाएंगे, लेकिन वह आज तक नहीं आया। न वहां कोर्ट है और न ही वहां कमिटी है। वाइस चांसलर सीधे यहां

से नियुक्त किए जाते हैं और कहने को तो वाइस चांसलर कुलाधिपति के मार्फत नियुक्त होते हैं, लेकिन वाइस चांसलर या अब आप जिनको चांसलर कहने लगे हैं, वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नियुक्त हुआ करते हैं। जो कोई भी रहता है, वह अपनी मर्जी का भेजता है। बनारस में यह सिलसिला है। आप यूनिवर्सिटी को किस सीमा तक स्वायत्तता का अधिकार देंगे, यह आपको सोचना पड़ेगा। पहले यूनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव काउन्सिल खुद सीनियरिटी के हिसाब से अपना वाइस चांसलर या देश का कोई शिक्षाविद् कुलपति के पद पर चुन लिया करती थी। श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जब गवर्नर थे, तो एक ऐसा कानून आया था, जिस पर लड़ाई हुई थी और उस समय स्वायत्तता को खत्म करने का प्रयास किया गया था। तब से कई बार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने हमला किया और उनका स्वरूप बन-बिगड़ नहीं सका। कभी-कभी लड़के उभरते हैं, उन पर गोलियां चलती हैं। लखनऊ में डा० ज्ञानेन्द्र गोली का शिकार हुए थे। ऑटोनोमी को बचाने के लिए। एग्जीक्यूटिव काँसिल कुलपति के लिए तीन नाम रिक्मंड करके भेजेगी। कुलाध्यक्ष, यानी राष्ट्रपति महोदय उन तीनों नाम में से एक को मान लेंगे तो ठीक, नहीं तो वे लौटाकर कहेंगे कि अलग से तीन नाम भेजो, ये इसके लायक नहीं हैं। मैं तो राष्ट्रपति महोदय को इस विवाद में नहीं डालना चाहता। यह काम मानव संसाधन मंत्रालय का होता है। सीधे केन्द्र का हस्तक्षेप होता है। यह कुलपति की नियुक्ति में एक बार, दो बार, तीन बार, तीन-तीन बार पैनल लौटाया जाएगा और जब अपनी मर्जी का नाम आ जाएगा तो उसे कुलपति नियुक्त कर दिया जाएगा, क्या यह सिलसिला चलता रहेगा? क्या वहां की कोर्ट को, एग्जीक्यूटिव काँसिल को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे अपना नाम चुन लें। वोटिंग हो बकायदा, लोकतंत्र कायम हो और जो कोई चुनाव में जीत जाए, उसे कुलपति बना दिया जाए। उनको खुद-मुख्तियारी का हक मिलना चाहिए।

उपसभापति महोदय, मैं यह खुद-मुख्तियारी का जन-बूझ कर इसलिए कह रहा हूँ कि बगल में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय के छात्र-संघ के कार्यालय पर कई सालों से ताला लटका हुआ है, वहां पुलिस के जवान सोते हैं। नौजवानों के बीच में एक जनतंत्र का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए जो स्वरूप तैयार करना चाहिए, वह स्वरूप वहां बंद हो गया है। आजादी की लड़ाई में बनारस यूनिवर्सिटी के छात्र-संघ के लड़के पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर चुके थे, कांग्रेस पार्टी के लोग नदारद थे, गायब थे, लेकिन लड़कों ने उस आंदोलन को उग्र कर दिया था और आज वहां छात्र-संघ के कार्यालय पर ताला पड़ा हुआ है, वाइस-चांसलर या चांसलर के एक फरमान के चलते। मैं जानना चाहूंगा कि इलाहाबाद में बच्चों के लिए जो प्लेटफार्म है छात्र-संघ का, उसको आप किस रूप में रखना चाहते हैं? उससे भी बड़ी बात, यह जानना चाहूंगा कि अलग-अलग बिल क्यों? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सबके लिए एक जैसा समान कानून क्यों नहीं है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को उसी कानून के

मुताबिक चलने की क्यों इजाजत नहीं होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा पैसा दिया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा पैसा दिया जाए और जो दूर-दराज के विश्वविद्यालय हैं? उनको केन्द्र की ओर से कम मदद जाए।

उपसभापति महोदय, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। यह मैं छात्र संघ पर बोल रहा था, एक बार इस बिल पर भी बोला। मैं चाहूंगा कि छात्र-संघ के बारे में मानव संसाधन मंत्री जी अपना एक स्पष्टीकरण दें। दूसरी बात, जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वह यह कि छात्रों में पढ़ने की प्रवृत्ति जगाना अध्यापकों का काम होता है। अध्यापक किस सीमा तक अपने विद्यार्थियों के प्रति समर्पित हैं, कुलपति किस सीमा तक अपने विद्यार्थियों के प्रति समर्पित हैं, यह भावना जगाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज देश एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। भ्रष्टाचार का जो दौर चला है, इसका अंदाज, मानव संसाधन मंत्री जी नहीं हैं, लेकिन देश के कई विश्वविद्यालयों में मुझे यह रिपोर्ट मिली है कि वाइस-चांसलर नियुक्त करने के लिए गवर्नर की कोठियों से घूस लिया गया। कई राज्यों में यह रिपोर्ट मिली है, कई राज्यपालों के खिलाफ खुलेआम, जो नियुक्त होता था, वह बोला करता था। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो घूस देकर वाइस-चांसलर बनेगा, चांसलर बनेगा, वह बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तालीम के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। हिंदुस्तान में तालीम पहले विद्वान पैदा करती थी और आज, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, कि आज तालीम बेईमान पैदा कर रही है। बहुत गंभीरता से इस पर सोचना पड़ेगा, पहले तालीम विद्वान निकालती थी, अब बेईमान निकाल रही है। शिक्षा पद्धति पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय बिल के तहत तो बहस नहीं की जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि संपूर्ण शिक्षा पद्धति और परीक्षा पद्धति के बारे में गंभीरता से विचार हो।

उपसभापति महोदय, आज परीक्षा पद्धति एक अजीब दौर से गुजर रही है कि लड़के इम्तिहान में तैयारी से नहीं जाते हैं, उनके बाप नकल कराने जाते हैं, उनके बड़े भाई नकल कराने जाते हैं। यह परीक्षा पद्धति वाला चैप्टर जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं इस बारे में सोच रहा था, कई मास्टर नकल कराते हैं। तो मैं सोच रहा था कि यह कौन सी परीक्षा-पद्धति है? कौन एक्सपर्ट इसका संचालन कर पाएगा, समाज का रूप इतना बिगड़ा हुआ है?

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, जो एक नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का आपने संकल्प लिया है, इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, शुरू में भी दिया था। मैं चाहूंगा कि आप इस विश्वविद्यालय को न केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाइए, बल्कि एक आदर्श विश्वविद्यालय भी बनाइए क्योंकि जो कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनता है, वह राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श होता है, वे उसकी नकल किया करते हैं। तो केवल राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए ही नहीं, बल्कि देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए आप इसे एक आदर्श विश्वविद्यालय बनाइए। यह अपील करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, yesterday, I had given a notice to raise an issue of public importance, regarding the sale of Centaur Hotel, Juhu Beach. Today also I have not been permitted. Now,

the CAG Report has been placed today. Here is the CAG Report, which says that not only this hotel, the Centaur Hotel at Juhu Beach....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dipankar Mukherjee.....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: No, Sir, I wanted to raise this issue. It is on the CAG Report, Sir. Both the Centaur Hotel at Juhu Beach and the Centaur Airport Hotel.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dipankar Mukherjee, we are in the midst of the discussion of a Bill.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: This whole thing is.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mukherjee, you are a senior Member of this House.....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, four months back we had asked for a CBI enquiry.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not the time to raise this issue.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:.....Now, what is the next step? I want the Government to act immediately on this. Sir, we have been waiting for six months now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, that is all right. You could always...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, since August, till this month, I have been waiting. Now, the CAG Report is here which says that both the Centaur Hotel and ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Sir, the hon. Finance Minister gave an assurance in this House ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy ...(*Interruptions*)... This is a very bad precedent...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, both the hotels have been mentioned in the CAG Report...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whatever it may be, we are setting a very bad precedent...(*Interruptions*)...We are in the midst of a discussion.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, I wish to make one small submission. We had raised the issue, when the sale was taking place, that the constitutional right of the Parliament to examine this kind of sales is being taken away, it is becoming irrelevant, because of the delay in the submission of the reports by the CAG.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Nilotpall Basu, I do agree all that. But, please, let us follow certain rules. How can we take up some issue in between a discussion?

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, we just want to draw the attention of the House that...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You could have raised it at 12 o'clock.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, it has come after a long delay of two years. Hence, we wish to draw the attention of the House...

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh) : Sir, he had given a notice yesterday and so, he must be allowed...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he had given a notice yesterday.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I had given a notice yesterday and so, I must be allowed to raise the issue. Now, here is the report, which says...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, you should be careful about...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Finance Minister had given the assurance on the floor of this House...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We can take it up...(Interruptions)...Your request would be considered for Monday.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, your observation is very correct. But what I am saying is that it is also a question of the rights of the Members of this House. You could, at least, allow us to mention this...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall examine the issue...(Interruptions)... We shall examine the issue.

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, हमें इक्वायरी चाहिए।...(व्यवधान)...immediate attention...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, what is to be done?...(Interruptions)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I want the Government to immediately ask for an inquiry on the sale of the Hotel based on the CAG Report...(Interruptions)...What I am asking for is, the Government should go in immediately for an inquiry...(Interruptions)...Why an inquiry is not being held into the sale of both these hotels, Centaur Hotels, by the Government?

SHRI V. NARAYANASAMY: The former Disinvestment Minister, Mr. Arun Shourie had said that he is ready for a CBI enquiry...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, on the 18th of August...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, this is not correct...*(Interruptions)*...I fully agree; you have raised certain matters and you had given a notice to the Chairman. If a matter is to be raised which is so urgent, there is a set procedure. Now, we are discussing the University of Allahabad Bill.

प्रो० राम देव भंडारी (बिहार): सर, इस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी चाहिए।

श्री उपसभापति: अब मैं कैसे करूँ प्रतिक्रिया।...*(व्यवधान)*...You have raised an issue. But this is not correct. Please....

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, your observations on the procedure are correct; we fully agree with that. But, Sir, you must also appreciate the urgency of the Members. The Members have the right to...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why, I said that it will be considered. You can give the notice and on Monday, it can be taken up for discussion.

SHRI NILOTPAL BASU: The submission of the CAG Report has forced us to...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, on the 18th of August the Finance Minister gave an assurance to the House...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, I said that it could be considered on Monday.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, you could give directions to the hon. Finance Minister to respond to this...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not yet seen what is the...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, he said that he was awaiting the CAG Report to come. Now that Report has come, there should not be any problem so far as the hon. Finance Minister is concerned to...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can give a notice. We will look into it on Monday.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, on the 18th of August, 2004, the Finance Minister had assured the House that once the CAG Report comes, he would study the Report...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The CAG Report has been laid today. Let us see what...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, you should direct the Finance Minister to make a statement on the CAG Report.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We can take it up on Monday. There should be some notice before me to give the directions...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the notice has been given to you...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, the notice has been given to you...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will examine it...*(Interruptions)*... Mr. Basu, we will examine it.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he said that he was waiting for the CAG Report. Now, what is the problem for the Government?...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, it is our submission that...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will examine it. Hon. Members, the Business Advisory Committee has allotted one hour for this Bill. We have to complete this discussion within the time limit. So, I request the hon. Members, who are speaking on this Bill, to be brief. I will have to follow the time allotted to each party. So, speak within the time limit. Shri Janardan Dwivedi to speak.

श्री जनार्दन द्विवेदी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): उपसभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए कहा। 44-45 वर्ष राजनीतिक कार्यकर्ता रहने के बाद और आज से 13 वर्ष पहले, 25 वर्ष यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर छोड़ने के बाद, जब बोलने खड़ा हुआ हूँ तो हमारे साथी एवं सहयोगी श्री जयराम रमेश जी इसे मेडन स्पीच कह रहे हैं। यह लोकतंत्र की महिमा है, सदन की परम्परा है कि हमारे ये साथी, मेडन पॉलिटिशियन, मेरे लिए मेडन स्पीच की बात कह रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप जानते हैं कि परिवार में भी कुछ बच्चे नटखट होते हैं और ये लोकतंत्र के नटखट बच्चे हैं, इसलिए इनकी भी अदा अच्छी लगनी चाहिए। जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक का सवाल है, मैं माननीय अर्जुन सिंह जी को बधाई देता हूँ और वह बधाई मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं देता हूँ बल्कि इस नाते देता हूँ कि मैं इलाहाबाद के पड़ोस में पैदा हुआ। चित्रकूट और राजापुर के बीच में मेरा गांव है, जहां से पढ़ने के लिए आठ किलो मीटर, बस्ता बांधकर पैदल जाता था और आठ किलो मीटर पैदल आता था।

चित्रकूट के ही एक विद्यालय में मैंने छठी से एबीसीडी पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला और आज जो आपके सामने कुछ शब्द मैं कह रहा हूँ, वह उसी धरती का गुण है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वह तो चित्रकूट के उस विद्यालय की महिमा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की महिमा है। आज से 39 वर्ष पहले मैंने अपनी पढ़ाई वहां से पूरी की थी और उस समय के जो संस्कार हैं, उस समय की जो भावना है, उसके हिसाब से तब भी यह महसूस होता था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बहुत पहले केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाना चाहिए था। केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा अगर पहले नहीं मिला, तो जब इसका शताब्दी वर्ष था, कम से कम उस समय इसको वह दर्जा मिल जाना चाहिए था। दर्जा इसलिए नहीं कि वह खाली एक शिक्षा-संस्था है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक परम्परा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक संस्कृति है और वह परम्परा और संस्कृति इस तरह की है, जिसका कि भारत में शायद और कोई दूसरी संस्था मुकाबला नहीं कर सकती। इसको गलत न समझा जाए।

इससे पहले चार विश्वविद्यालय भारत में बन चुके थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस देश का पांचवाँ विश्वविद्यालय था। उनकी अपनी परम्पराएं हैं, उनकी अपनी गरिमा है, लेकिन जो इलाहाबाद की धरती है, वहां का एक प्रतीकात्मक महत्व है, जिसका उल्लेख अभी जनेश्वर जी कर रहे थे। आज से 40-45 वर्ष पहले बहुत बार हम लोग वहां यूनियन भवन की सीढ़ियों में बैठे हैं और साथ-साथ चाय-कॉफी पी है। हम जानते हैं कि उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद की एक प्रतीकात्मकता है। आज हम सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग जिस मिले-जुले समाज की चर्चा करते हैं, जिस गंगा-जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, उस गंगा-जमुनी संस्कृति का प्रतीक कौन-सा शहर है? वह प्रयाग है, वह इलाहाबाद है, जहां गंगा और यमुना मिलती हैं। आज हमारे उस पक्ष के लोग यहां नहीं हैं, मैं आज उनसे चर्चा करना चाहता था, मैं कहना चाहता था कि ये जो राम, रहीम और अन्य सारी बातें होती हैं, क्या उन्होंने गहराई से यह समझा है कि इलाहाबाद राम का भी शहर है, इलाहाबाद रहीम का भी शहर है, वह दीन-ए-इलाही का भी शहर है और तुलसी दास के रामचरितमानस का भी शहर है। अकबर इलाहाबादी ने उसी धरती से कहा था:

“कहता हूँ मैं हिन्दु-ओ-मुसलमां से यही,

अपनी-अपनी रविश पे तुम नेक रहो,

लाठी है हया-ए-दह, पानी बन जाओ,

मौजों की तरह लड़ों, मगर एक रहो।”

यह जो वक्त की हवा है, यह वक्त की बयार आज भी कभी-कभी चलती है और हमने हाल में भी उसको देखा है। यह परम्परा यहीं की नहीं है यह परम्परा व्यापक है, एक नाम और मैं आपसे लेता हूँ। राम की बात करते हैं, एक रहीम भी हुए हैं वे तुलसीदास जी के जमाने में हुए हैं, अब्दुल रहीम

खानखाना और वे अकबर के नौरत्नों में थे। आज बहुत सारे लोग उस बात को याद नहीं करते कि जब आज की जैसी राजनीति की चुगलखोरी ने रहीम खानखाना को राज्य से निकाला तो वे चित्रकूट में आकर बसे थे, वे किसी ऐसी जगह नहीं गए थे जहां मुस्लिम तीर्थ हो। उस जगह गए थे जहां 12 साल से ज्यादा भगवान राम रहे थे। अब्दुल रहीम खानखाना जब वहां गए उस समय का उनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है:

“चित्रकूट में रमि रहे रहिमान अवध नरेस,

जापर बिपदा परत है सो आवात यहि देस।”

अकबर ने उनको अयोध्या का राज दिया था रहीम खानखाना अयोध्या के राजा थे। जब उनको निकाला गया तो वे आए और चित्रकूट में बसे। उपसभापति महोदय, जब वे चित्रकूट में बसे तो किस हालत में रहे, मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं, जैसा पुरानी किताबों में दर्ज है। एक भड़भूजे, जो चना वगैरह भूनते हैं, भाड़ झोंक करके अपनी जीविका चलाते हैं, उनके यहां अब्दुल रहीम खानखाना ने नौकरी की। वे उनको खाना देते थे, वे उनकी सेवा करते थे। वह जो भड़भूजे का परिवार था, आज भी कामदगिरि के आसपास जो परिक्रमा बनी हुई है उस परिक्रमा में वह परिवार आज भी है। एक बार जब रहीम खानखाना भाड़ झोंक रहे थे, तो उस समय के रीवा के महाराजा हाथी पर बैठे हुए वहां से गुजरे। वे महाराज थे तो हाथी पर बैठकर परिक्रमा कर रहे थे, और बाकी लोग नंगे पैर करते हैं। बहरहाल महाराजा वहां से निकले और उन्होंने देखा कि जो आदमी बैठ भाड़ झोंक रहा है, उसकी शक्ल तो अब्दुल रहीम खानखाना से मिलती है। लेकिन महाराज हाथी से कैसे उतरते। तो सोचा कि कविता में बोलता हूं। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, अगर कविता में कहूंगा, मैं कविता में पूछता हूं और अगर वे कविता में जवाब देंगे तो अब्दुल रहीम खानखाना, नहीं तो कोई साधारण आदमी होगा। तो उन्होंने हाथी पर चढ़े-चढ़े सोरठा में पूछा:

“जाके सिर इस भार सोकत झोंकत भाड़ अब” जिसके सिर पर इतना बड़ा बोझा था वह अब भाड़ क्यों झोंक रहा है? इस पर अब्दुल रहीम खानखाना ने कहा:

“दीन्ह्यो भार उतार झोंक भार सब भार में” वह भार सिर से उतार दिया है और वह जो सत्ता का भार था उसे भाड़ में झोंक दिया है। कुछ प्रतिशत हम लोग भी अगर सीखें तो इधर-उधर की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो यह भी एक परम्परा है।

मैं एक परम्परा और भी बताना चाहता हूं कि ये लोग जो कहते हैं कि यह गंगा यमुना सरस्वती, वे आज से नहीं त्रेता से लोगों को खींचती रही हैं। कालिदास के रघुवंश में अलग से लिखा है, तुलसीदास के रामचरित मानस में और बाकी सब में तो है ही, कि जब पुष्पक विमान से लंका से राम आए तो सीता जी को लेकर खास तौर से संगम दिखाने के लिए लाए थे। उसमें एक पंक्ति आती

है—“पश्यानवद्यांगि विभाति गंगे, भिन्नप्रवाहा यमुनतरंगैः। सीता, देखो यह गंगा यमुना हैं। कैसे मिल करके हुई हैं। भिन्न प्रवाह आ जाते हैं। लेकिन उनकी तरंगें एक साथ भी होती हैं और अलग-अलग भी दिखाई देती हैं। साथ-साथ भी चलती हैं।

“मौजों की तरह लड़ों, मगर एक रहो।” वह जो बात मैंने कही थी, इलाहाबाद की वह परम्परा है। आप जानते ही हैं कि स्वाधीनता आंदोलन का हर बड़ा नेता स्वराज भवन में रहता था। यह आप हम सब जानते हैं कि क्रांतिकारियों से लेकर सभी लोगों को इलाहाबाद से प्रेरणा मिलती थी। राजनीति हो, दर्शन हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, साहित्य की तो स्थिति यह है कि कोई ऐसी विधा नहीं है, कविता, कहानी, उपन्यास सब में इलाहाबाद का योगदान था। एक जमाना था जब देश के बड़े-बड़े विद्वान हर विषय के विद्वान इलाहाबाद के ही किसी न किसी विभाग में रहा करते थे और सब को प्रेरणा देते थे। उस जमाने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का आक्सफोर्ड कहा जाता था। तो यह पूर्व का आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। जितना ज्ञान, जितनी चेतना, जितनी प्रेरणा वहां से मिलती थी, वह किसी दूसरी जगह से नहीं मिला करती थी। ऐसी स्थिति में यह जो निर्णय हुआ है, यह निर्णय अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और फिर मैं कहना चाहता हूं कि यह निर्णय और पहले हो जाना चाहिए था। एक प्रश्न अभी उठ शिक्षा के स्तर का, यह एक विश्वविद्यालय की परम्परा नहीं है। शिक्षा का स्तर, रोजगार की समस्या, विद्यार्थी और अध्यापक की भावना, प्रेरणा, लक्ष्य का निर्धारण वह चेतना जिससे इतिहास बनता और बिगड़ता है, यह कानून की एक-दो लाइनों से तय नहीं होता। उसके लिए वातावरण बनाना होता है, बड़ा लक्ष्य सामने रखना होता है और वह वातावरण अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती से पैदा हो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, बी०ए० और एम०ए० आज किस चीज की क्वालिफिकेशन हैं? क्लर्क की नौकरी नहीं मिलती है, चपरासी बनने के लिए लोग घूमते हैं। ज्ञान का विस्तार आवश्यक है, जिसे अपना किसी भी विषय में ज्ञान आगे बढ़ाना है, उस प्रतिष्ठा को लांधना है, वह विश्वविद्यालयों में जाकर के यह सब पढ़े, बाकी लोगों को तो व्यवसाय और रोजगार चाहिए। सोचना होगा कि वह व्यवसाय और रोजगार कहां से मिलेगा? इन बड़ी डिग्रियों से मिलेगा, जो आजकल फर्जी हो रही हैं? गांधी जी की कल्पना थी—पंचायत, लोकतंत्र, ग्राम-स्वराज, पूर्ण स्वराज। रोजगार, स्थानीय स्तर पर रोजगारों का सृजन करने से मिलेगा। इसलिए विश्वविद्यालयों का स्तर मेरे हिसाब से, मेरी अल्पबुद्धि में यह आता है कि उन्हें ज्ञान को आगे बढ़ाने के केन्द्र होना चाहिए। विश्वविद्यालयों को स्वयं और उसके साथ-साथ उनके निर्देशन में रोजगारोन्मुख शिक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना चाहिए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और ये दोनों चीजें हों। शिक्षा के दो ही उद्देश्य हैं—व्यक्तित्व का विकास करना और रोजगार देना, काम धंधा देना। शिक्षा आजकल दोनों उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए व्यक्तित्व का विकास भी हो और साथ ही साथ स्वज्ञान का क्षेत्र भी आगे बढ़े, लोगों को रोजगार भी मिलें।

एक प्रश्न आज यहां उठ कि अध्यापक और विद्यार्थी प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं या विद्यार्थियों को पढ़ाने में अध्यापक रुचि नहीं ले रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं तब भी महसूस करता था और जाज भी महसूस करता हूं मुझे एक पुरानी कहावत संस्कृत की याद आती है, शिष्यात् पुत्रात्

पराजयम्''। उपसभापति महोदय, हर आदमी सिर्फ जीतना चाहता है, हारना कोई नहीं चाहता। लेकिन दो ही कमजोरियाँ हैं, पिता की कमजोरी है कि वह संतान से, पुत्र से हारना चाहता है, अब तो पुत्री से भी हारना चाहता है। जमाना बदल रहा है, पुत्र पुराना शब्द है। मुझे सरला माहेश्वरी जी गंभीरता से देख रही हैं। शिष्य अच्छा है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि शिष्यात् पुत्रात् पराजयम्। तब भी अध्यापक चाहता था कि मेरा विद्यार्थी मुझसे आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन करे। तब भी पिता यह चाहता था कि मेरी संतान मुझसे आगे बढ़े, आज भी चाहता है और कल भी चाहेगा। यह एक ऐसा मोह है, जो कभी छूट नहीं सकता। मनुष्य की अस्मिता, उसकी चेतना, उसकी बृद्धि, उसका विवेक, उसके मनुष्यत्व पर हमें भरोसा करना चाहिए, तभी हम एक नई व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।

उपसभापति जी, मैं समझता हूँ कि आप घंटी बजायें इसे पहले मैं एक दो बातों की ओर संकेत कर दूँ। उपसभापति महोदय, यह शिक्षा का प्रश्न है इसलिए मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ, वरना मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। यह जो ज्ञान है, यह धरती की गंध और ब्रह्माण्ड की दृष्टि, यूनिवर्स है, उनका एक संबंध धरती की गंध लेकर ही आपका यह ब्रह्माण्ड है, उसकी चेतना को आप ग्रहण कर सकते हैं, शून्य में नहीं कर सकते हैं, हवा में नहीं कर सकते हैं। जब आप धरती की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी आप संसार को सुधारने का प्रयास करते हैं और वह दृष्टि मिलती है। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ज्ञान की परम्परा थी, उसी परम्परा में एक और बड़ी चीज है। आप पुराने सारे आंकड़े निकालें, जितने आईएणएस, आईपीएएस, आईएफएएस हर चीज के जो बड़े-बड़े विद्वान थे और जो अधिकारी थे, वे वहाँ से पैदा होते थे और उनमें भी शहरी लड़कों का प्रतिशत केवल दो प्रतिशत होता था। मैंने हिसाब लगाया था 98 प्रतिशत, वे लड़के होते थे, जो गांव में पैदा हुए थे। उपसभापति महोदय, मैं यह इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि गांव का लड़का जीवन से बहुत गहरे जुड़ा होता है। ये अपने हाथ भी चारा, पानी, गोबर वगैरह सब कुछ किए हुए हैं किसी जमाने में। इसलिए यह चीज समझ में आ रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां प्रतिभा है, हमारे यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राजीव जी जब प्रधान मंत्री थे, तो वे एक बार इंग्लैंड गए, वहां अखबार वालों ने उनसे पूछा कि आप हमें इस बात का जबाव दीजिए कि जो आपके यहां के टेक्नोक्रेट्स और दूसरे प्रोफेशनल्स आते हैं, वे जब हमारे यहां आते हैं, तो चमक जाते हैं और आपके देश में उनकी प्रतिभा दबी रही है। राजीव जी एक बार तो हिचकिचाये होंगे, लेकिन उन्होंने यह खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बताया था। इंग्लैंड वाले जर्नलिस्ट, जो उनसे सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने उनको जवाब दिया कि देखो, यहां जब आते हैं तब तुम लोगों से मुकाबला होता है तो आगे बढ़ जाते हैं। अपने देश में बराबर की टक्कर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां जो गांव का लड़का है, जो हमारे देश का विद्यार्थी है, भारतीय है, वह प्रतिभा, क्षमता, योग्यता, संभावना-किसी भी चीज में किसी से कम नहीं है। उसे उपयुक्त वातावरण देकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का फिर समर्थन करता हूँ और अंत में अर्जुन सिंह जी से एक अनुरोध करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि इसमें मुझे दो चीजें थोड़ा-सा खटक रही हैं। एक इसमें विजिटर है, जो राष्ट्रपति जी हैं, एक चांसलर है, चांसलर के बीच में चीफ रैक्टर हैं जो वहां के राज्यपाल होंगे। उसके

बाद वाइस चांसलर हैं और फिर तमाम पदाधिकारी हैं। ठीक है। बाकी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी यह है। राष्ट्रपति जी यहां विजिटर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के। उपराष्ट्रपति जी चांसलर हैं, उसके बाद वाइस चांसलर हैं। ये गवर्नर का चीफ रैंक्टर वाला मामला बीच में से निकाल दें। इसमें चांसलर गवर्नर हो सकते हैं। उनका एक प्रतीकात्मक महत्व राज्य में है। विजिटर हो जाएं राष्ट्रपति, गवर्नर हो जाएं चांसलर और उसके बाद जो उनका सारा सिस्टम है, वह बना रहे। एक तो थोड़ा-सा यह कर दें। एक चीज और कहना चाहता हूं। वहां पर नैनी में एक हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। जब कभी पिछले दिनों इसकी चर्चा हुई थी तो शायद बहुगुणा जी के नाम से या किसी और वजह से उसको छोड़ दिया गया। अगर वह उस सीमा में आता है तो उस कॉलेज को भी इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के अंतर्गत ले लिया जाए। इससे वहां पर आस-पास के क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्रीमती चन्द्रकला पांडे। आपके पास चार मिनट हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम यहां चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले माननीय अर्जुन सिंह जी का अभिनंदन करना चाहूंगी, उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि वे इस महत्वपूर्ण विधेयक को यहां लेकर आए हैं। महोदय, मुझसे पहले जिन दो माननीय वक्ताओं ने अपनी बात यहां रखी है, उन दोनों का ही संबंध इलाहाबाद से रहा है। मेरा संबंध केवल उत्तर प्रदेश से रहा है, इसलिए मैं भी इस चर्चा में भाग लेना चाहती हूं। महोदय इसी महीने की तीन तारीख को मुझे इलाहाबाद जाने का मौका मिला।

श्री उपसभापति: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही यहां पर बात कर रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: उत्तर प्रदेश के लोगों को इसमें अधिक रुचि लेनी चाहिए। महोदय, एक वाइवा के सिलसिले में मैं विश्वविद्यालय गयी और वहां हमारे एक परिचित हैं, चीफ जस्टिस रवि धवन जी, उनके यहां मैं खाना खाने गयी थी। उनकी पत्नी, जो कि मिशिगन की रहने वाली हैं, विदेशी महिला हैं, मैं उनके बारे में खास नहीं जानती थी। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी अच्छी हिन्दी कैसे बोलती हैं? तब उन्होंने बताया कि चालीस वर्ष पहले वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ने के लिए आयी थीं। उसी सिलसिले में उनकी मुलाकात रवि जी से हुई थी और बाद में उन लोगों ने विवाह कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो विश्वविद्यालय आज केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने जा रहा है, वह आज से चालीस वर्ष पहले भी साहित्य, शिक्षा और संस्कृति के लिए इतना प्रसिद्ध था कि विदेशों से महिलाएं और पुरुष वहां पढ़ने के लिए आया करते थे, छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। एक ऐसे गौरवशाली विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी, जो 118 वर्ष पुराना है, को आज हम केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने जा रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं शिक्षा के पुरोधा, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के कथन से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी या समाप्त करना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। उन्होंने कहा था “यदि हम एक या दो वर्षों में ही फसल का लाभ पा लेना चाहते हैं तो धान

या गेहूं बोना चाहिए। यदि कुछ वर्षों तक फसल और फल का लाभ लेना चाहते हैं तो फलों के वृक्ष लगाने चाहिए लेकिन अगर युग-युग तक हम कोई फसल काटना और उसका फल पाना चाहते हैं तो शिक्षा के बीज बोने चाहिए और शिक्षा के बीज बोकर हम युग-युग तक अपने देश को रोशन कर सकते हैं।'' इलाहाबाद विश्वविद्यालय वैसे ही शिक्षा के बीजों को बोए, उनका प्रस्फुटन करे और हमारे छात्र-छात्राएं उसका फल पाएं, मैं यह आशा और उम्मीद करूंगी। यह विधेयक पहले लाया गया था बहुत तड़ी-घड़ी में और बहुत ही दुखद है कि जो शिक्षा में कुसंस्कार और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले थे, वे इस बिल को लाए थे। उस समय हमने, खासकर हमारी पार्टी ने चाहा था कि इसे Select Committee में भेजा जाए, संसदीय समिति में भेजा जाए। मैं उस समिति की सदस्या भी हूँ और हम लोगों ने इस विधेयक पर काफी चर्चा की है, बहुत लोगों का साक्ष्य भी लिया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि संसदीय समिति की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हमने दी हैं, उन सिफारिशों को अंतर्विष्ट करते हुए इस विधेयक को मंजूरी दें, हम सब उनके साथ हैं। मैं और अधिक समय लेकर इसमें जो संशोधन, जो कुछ सुझाव हमने दिए हैं, उन्हें पढ़ना नहीं चाहूंगी, एक बार और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, धन्यवाद।

उपसभापति: राम देव भंडारी जी, आप संक्षेप में बोलिएगा।

प्रो० राम देव भंडारी: माननीय उपसभापति जी, मैं भी पूर्व वक्ताओं का अनुसरण करते हुए माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। काफी अरसे से लंबित, इस विधेयक को वे सदन में लाए हैं और यह विधेयक आज पारित होने जा रहा है। महोदय, न तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और न इलाहाबाद का, मगर उसके बिल्कुल पड़ोस में, पाटलिपुत्र का रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी ने और दूसरे सदस्यों ने इलाहाबाद के गौरवमय इतिहास की चर्चा की है। सारा देश इलाहाबाद के इतिहास को जानता है। इलाहाबाद के साहित्य, कला और विज्ञान के बारे में देश के लोग जानते हैं। इस विश्वविद्यालय को, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में निर्गमित एवं स्थापित करने का स्वरूप आज माननीय अर्जुन सिंह जी ने दिया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करता हूँ।

महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस देश के बड़े-बड़े साहित्यकार पैदा किए हैं। अभी जनेश्वर मिश्र जी कह रहे थे—राजनेता, कलेक्टर, कप्तान—पैदा किए हैं। यह सही है कि इस विश्वविद्यालय ने देश को अनेकों बड़े-बड़े साहित्यकार और बड़े-बड़े पदाधिकारी दिये हैं। इस विश्वविद्यालय से कुछ सौ-दो सौ किलोमीटर पर, या पास के बिहार राज्य में एक पटना विश्वविद्यालय है। महोदय, पाटलिपुत्र का भी अपना एक गौरवमय इतिहास रहा है। पाटलिपुत्र ने भी एक से एक साहित्यकार, विद्वान, कलाकार, संस्कृत के जानने वाले और शूरवीर पैदा किए हैं और हमारी भी बरसों से यह डिमांड रही है कि पाटलिपुत्र, जिसको आजकल हम पटना विश्वविद्यालय कहते हैं, इसको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना

करना चाहूंगा कि इस दिशा में भी वे विचार करें कि पटना विश्वविद्यालय, जो हर तरीके से, सभी दृष्टिकोणों से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के लायक है, उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

महोदय, मैं एक-दो छोटी-छोटी बातें और कहना चाहूंगा। जब विश्वविद्यालय की चर्चा हो रही है स्टूडेंट्स यूनियन की चर्चा हो रही है, विश्वविद्यालय के वातावरण की चर्चा हो रही है महोदय, हम सभी इस बात को मानते हैं कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण, अध्यापन, पठन-पाठन का जो सही वातावरण होना चाहिए, आज उस वातावरण का अभाव है। संभवतः राजस्थान की कोर्ट ने कहा है कि स्टूडेंट्स यूनियन में जो मेधावी छात्र हैं... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: भंडारी जी, कन्कलूड कीजिए क्योंकि आपकी पार्टी के दो मिनट हैं।

प्रो० राम देव भंडारी: महोदय, मैं बस खत्म कर रहा हूँ। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको नेतृत्व देना चाहिए। हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो दबंग छात्र होते हैं, जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, वे स्टूडेंट्स यूनियन के नेता होते हैं। आज-कल तो ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर स्टूडेंट्स यूनियन का इलैक्शन होता है, महोदय आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। पता नहीं कहां से पैसा आता है? स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इससे जो वातावरण बनता है, स्टूडेंट यूनियन्स, स्टूडेंट्स की पढ़ाई-लिखाई के लिए, अन्य सुविधाएं हैं, उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ती है। स्टूडेंट्स यूनियन का जो नेता या अध्यक्ष होता है, वह छात्रों की लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि उनके माध्यम से अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, यूनिवर्सिटी पर अपनी धौंस जमाने के लिए, स्टूडेंट्स यूनियन का नेता बनता है। महोदय, इसमें सुधार की आवश्यकता है। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप समाप्त कीजिए।

प्रो० राम देव भंडारी: महोदय, मैं कॉलेज में शिक्षक रहा हूँ और मैं कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कोई गुंजाइश नहीं है।

प्रो० राम देव भंडारी: मैं जानता हूँ, आज से पच्चीस-तीस साल पहले, कॉलेजों का क्या वातावरण था, उसमें पढ़ाई-लिखाई का क्या वातावरण था। एक गांव के कॉलेज में भी पढ़ाई-लिखाई का स्तर बहुत अच्छा होता था। आज यूनिवर्सिटी में भी वह स्तर देखने को नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई-लिखाई का स्तर है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी का इस मामले में आभार व्यक्त करता हूँ कि इससे पहले की सरकार ने एक ही विचारधारा के लोगों को यूनिवर्सिटी के बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त की थी, जो उसमें बदलाव किया है यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नियुक्त होते हैं। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज, समाप्त कीजिए।

प्रो० राम देव भंडारी: वे यूनिवर्सिटी के पठन-पाठन और शिक्षण-अध्ययन के लिए नियुक्त होते हैं। उनका किसी खास विचारधारा से नहीं जुड़ा होना चाहिए। यह सही है कि जो इम्पार्शियल विद्वान होते हैं, जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल आकाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, ... (समय की घंटी) ... उनके टीचर्स का, यूनिवर्सिटी के वातावरण को ध्यान में रखकर काम करना होता है। ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी के बड़े पदों पर नियुक्त किया जाए। महोदय, मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि पाटलीपुत्र, पटना यूनिवर्सिटी का भी गौरवमय इतिहास है, इसलिए पटना यूनिवर्सिटी को भी केन्द्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दें और इस संबंध में एक बिल सदन में लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: डा० अखिलेश दास, आपके लिए चार मिनट हैं।

डा० अखिलेश दास (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। मुझे गर्व है क्योंकि मैं इसके माध्यम से, इतिहास के उन क्षणों का साक्षी बनने जा रहा हूँ, जो देश के सबसे गौरवशाली विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। आज यह सदन एक ऐसा विधेयक पारित करने जा रहा है, जो भविष्य का एक शानदार दस्तावेज होगा। मान्यवर, 23 सितम्बर, 1887 को स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत ही गरिमामय इतिहास रहा है। प्राचीन भारत के तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों के बाद आधुनिक भारत में कोलकाता, मुम्बई, मद्रास और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालय रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि इन सब में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम अपने आप में एक अनोखा है और विश्व के कोने-कोने से लोग इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। बहुत सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की एक लंबी फेहरिस्त है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। न केवल राजनीति के क्षेत्र में, न केवल विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे खेल क्षेत्र हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक अनूठा स्थान रहा है और इसीलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरे विश्व में ऑक्सफोर्ड ऑफ दि ईस्ट के रूप में जाना जाता है। उपसभापति जी, अभी सम्माननीय जनार्दन द्विवेदी जी कह रहे थे, यह बात सही है कि जहां कहीं प्रयाग या इलाहाबाद का नाम आता है, तब अपने आप ही आजादी की लड़ाई का वह गौरवशाली इतिहास आंखों के सामने नजर आने लगता है, जिसमें यह गोरी सरकार के खिलाफ आनन्द भवन और स्वराज भवन में आजादी की लड़ाई का एक मुख्य केन्द्र रहा था। लंबे समय तक यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी मुख्यालय रहा। महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, मोती लाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना लियाकत अली, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे महान् लोग यहा बैठकर आजादी की लड़ाई के महान् सूत्रधार बने। यहां इलाहाबाद से संबंधित बहुत से लोग बैठे हैं। जहां एक ओर सड़क के किनारे आनन्द भवन और स्वराज भवन हैं, वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। आजादी की इस लड़ाई में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों का भी जो अभूतपूर्व योगदान रहा है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। बघेलखण्ड

के क्रांतिकारी युवा लाल पदम धर सिंह के नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने बलिदान की जो अनूठी मिसाल कायम की थी, उसे आज भी इलाहाबादवासी गर्व से याद करते हैं। मान्यवर, मैं इलाहाबाद विधेयक, 2004 के संदर्भ में माननीय श्री अर्जुन सिंह जी का तहेदिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज जब हम इस सदन में, इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं बल्कि देश, दुनिया के लाखों बुद्धिजीवी और शिक्षाविद् भी माननीय अर्जुन सिंह जी को बधाई दे रहे हैं। माननीय उपसभापति जी, इस मौके पर मैं एक घटना अवश्य याद दिलाना चाहता हूँ कि 1990 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी, नेता विपक्ष के रूप में इलाहाबाद गए थे। एक युवा कार्यकर्ता होने के नाते, युवा कांग्रेस की तरफ से मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था। उस समय इलाहाबाद के तमाम छात्र संगठनों ने और वहां के अध्यापकों ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की अपील की थी और राजीव जी ने उनकी इस मांग को पूरा करने का वचन दिया था। मुझे बेहद खुशी है कि हम सबकी नेता, यू०पी०ए० की अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री, डा० मनमोहन सिंह जी और माननीय अर्जुन जी, आपके नेतृत्व में राजीव जी का यह सपना साकार हो रहा है। आज अगर राजीव जी हमारे बीच होते तो इस फैसले से बहुत प्रसन्न होते। मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक बार पहले भी आनन-फानन में इस सदन में लाने का प्रयास किया गया था। मैं अति विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस उल्लेख से मेरा मतलब किसी की निन्दा करना नहीं है, परंतु देश और सदन के समक्ष यथार्थ रखना बहुत जरूरी है। तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री, जो स्वयं इलाहाबाद से संबंधित थे, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रहे और उत्तर प्रदेश में उनके दल की सरकार भी रही थी, पूरे पांच वर्ष तक उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का ध्यान नहीं आया। लेकिन ठीक चुनाव के समय, जब उन्हें भारी दबाव महसूस हुआ तो राजनीतिक लाभ के लिए एक आधा-अधूरा बिल प्रस्तुत किया गया। श्रीमन्, जब मैं आधा-अधूरा कहता हूँ, तो यह बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास के साथ जो उससे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जुड़े हुए हैं, उनका भी इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण रहा है वे जानते थे कि इतनी जल्दबाजी में यह बिल पास नहीं हो सकता था। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अखिलेश दास जी सेंमाप्त कीजिए।

डा० अखिलेश दास: आज जब यह बिल दोबारा पेश हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार उस समय, यह बिल पेश किया गया था, तब पास नहीं हो सकता था और आज जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यह ऐतिहासिक बिल सदन के सामने है, तो आज भी वह पूर्व मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, वे बहिष्कार करके गए हैं, यद्यपि वे बिल के लिए विशेष रूप से आ सकते थे। मैं यहां पुराने बिल की कमी को उजागर करना आवश्यक समझता हूँ। माननीय अर्जुन सिंह जी, मैं आपको बधाई देता हूँ कि पिछले दिनों आप इलाहाबाद गए थे, वहां संबद्ध विश्वविद्यालय के बहुत से कर्मचारी, अध्यापक और छात्र आपसे मिले थे और उन्होंने आपसे अनुरोध किया था कि इस संबंध में ... (व्यवधान)...

1.00 P.M.

श्री उपसभापति: आप समाप्त कीजिए।

डा० अखिलेश दास: अभी दो मिनट में कर रहा हूँ।

श्री उपसभापति: दो मिनट में नहीं होगा। आपके चार मिनट के छह मिनट हो गए हैं।

डा० अखिलेश दास: आज जब कि आपने बाकी सारे सम्बद्ध विश्वविद्यालयों को भी इस विधेयक में शामिल करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया है, ऐसा करके आपने वहाँ के शिक्षकों और हजारों-लाखों छात्रों के भविष्य पर ध्यान दिया है। आज जब यह विधेयक यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, इलाहाबाद में दिवाली मनाई जा रही होगी।

श्री उपसभापति: ठीक है, समाप्त कीजिए।

डा० अखिलेश दास: मान्यवर, यह बिल आज यहाँ प्रस्तुत किया गया और पहले भी प्रस्तुत किया गया था लेकिन दोनों की भावनाओं में जमीन-आसमान का अंतर है। आपने साबित कर दिया कि हम लोग केवल नारे और नाम में विश्वास नहीं करते हैं, हम सही मौके और सही काम में विश्वास करते हैं...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप समाप्त कीजिए, प्लीज़ कनक्लूड।

डा० अखिलेश दास: शायद इसीलिए कवि दुष्यंत ने इन पंक्तियों को लिखा था—

“सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,

मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,

हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।”

महोदय, मैं तहेदिल से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात भी कहना चाहता हूँ कि एक छात्र के रूप में मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूँ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please confine yourself to your timings.

डा० अखिलेश दास: महोदय, माननीय अर्जुन सिंह जी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और आज इस सदन में बहुत सारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र मौजूद हैं, और तो और इसको लिपिबद्ध करने के लिए हमारे सेक्रेटरी जनरल श्री योगेन्द्र नारायण जी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। आप सबकी ओर से मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, I hope that some of us are going to speak. It is not a matter concerning the people of U.P. only. It is a matter concerning our national policy.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I tell you that today is Friday. It is a Private Members' day. At 2.30, the Private Members' Legislative Business will be taken up. ...*(Interruptions)*... आज तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल है।

DR. M.S. GILL: Sir, declaring the University of Allahabad to be a Central University is a matter of national importance. A lot of members want to speak on this. Please fix time on some other day. Ask the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Business Advisory Committee has fixed the date and has announced the timings.

DR. M.S. GILL: That is not a private matter involving the people of U.P.

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं इस बिल के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 118 साल पुरानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। अभी पिछले हफ्ते ही मैं इलाहाबाद गया था और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक चक्कर लगाने गया कि यह इतनी नामी-गिरामी यूनिवर्सिटी है, चलकर देखें कि इसका क्या हाल है? मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि आधी यूनिवर्सिटी बिल्कुल खंडहर सी बन चुकी है, हालैंड हॉल, जुबली हॉल, ये जो होस्टल हैं, इनकी छतें कब किन स्टूडेंट्स के ऊपर गिर जाएं, कोई नहीं जानता, इस यूनिवर्सिटी की इतनी बुरी दुर्गति उस राज्य सरकार के हाथों में थी। पिछले वर्षों में उस यूनिवर्सिटी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे उस गौरवशाली इतिहास को कायम रखा जा सके। इसलिए यह बहुत जरूरी था कि इस यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाए, ताकि उसे इतने संसाधन मिल सकें कि इसका पुराना गौरव कायम किया जा सके।

मान्यवर, इस यूनिवर्सिटी में श्री गंगानाथ झा, अमरनाथ झा, हरिवंशराय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, प्रयाग विद्यापीठ में महादेवी वर्मा जैसे लोग रहे हैं, जैसा कि श्री जनार्दन द्विवेदी जी ने बताया कि कितना गौरवशाली इतिहास उस शहर का है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी ने इस देश के लिए जो योगदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। एक ज़माने में इसे भारत के ब्यूरोक्रेट्स की फैक्टरी कहा जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 22-22 सेक्रेटरीज़ सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते थे और ईस्टर्न यू पी जो कि सबसे पिछड़ा इलाका था, अगर वहां सचमुच किसी ने सोशल इंजीनियरिंग और सोशल अपलिटमेंट का काम किया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने किया। गांवों के सैकड़ों गरीब घरों के लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई०ए०एस० ऑफिसर, आई०पी०एस० ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। यह सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की देन थी कि इसने रूरल इंडिया के लोगों को, जो सबसे पिछड़े इलाके थे, वहां के लोगों को ऊपर गद्दी तक पहुंचाया।

मान्यवर, मैं यह चाहता हूँ कि अब जब कि इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसे इंतजाम किए जाएं कि यह यूनिवर्सिटी कम से कम

अगले 100 सालों तक वहीं जीवंत उदाहरण पेश कर सके। आज हालत यह है कि न वहां पर आई०ए०एस की फैक्ट्री रह गई है, न वहां से साहित्यकार पैदा हो रहे हैं, न वहां से लेखक पैदा हो रहे हैं, न वहां वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं, वहां से सिर्फ छात्र नेता पैदा हो रहे हैं। वहां की पढ़ाई का माहौल एकदम खराब हो गया है। एक तरह से शर्म महसूस होती है, अगर आप वहां पर जाएं। मैं अर्जुन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि यह न केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाए, बल्कि वहां के सिस्टम में ऐसी तब्दीली लाई जाए कि वहां से पुरानी तरह से, उसी तरह से ब्यूरोक्रेट्स निकलें, उसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, सबका बन्दोबस्त हो। अभी जो रिसर्च वहां पर चल रही है, वे हैं—सेंटर फॉर बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंसेज़, सेंटर फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, नेशनल सेंटर फॉर एक्सपेरिमेंटल मिनरलोंजी एंड पेट्रोलॉजी—ये सारी रिसर्च वहां पर चल रही है। लेकिन वहां पर जो लोग रिसर्च करते हैं, उनका बुरा हाल है। इसका पूरा बन्दोबस्त इस तरह से करें कि वहां पर जो भी रिसर्च हो रही है, उन्हें और बढ़ाया जाए।

एक चीज़ जो द्विवेदी जी ने कही थी कि वहां पर विज़िटर, चांसलर और बीच में गवर्नर और इसके बाद वाइस-चांसलर, और उसके बाद प्रो-वाइस-चांसलर इतने सारे प्रोविजंस हैं। इस हाइरार्की को ज़रा सा देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि आपस में फाइलें इधर से उधर घूमती रहें और इतना टकराव रहे कि निर्णय लेने में देरी हो जाए। इसको अगर स्ट्रीमलाइन किया जाए, स्मूदेन किया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा।

मैं आखिर में एक और मांग यह रख रहा हूँ कि इस यूनिवर्सिटी से 16 किलोमीटर के दायरे में जो कालेजेज़ हैं, सिर्फ़ उनको एफिलिएट करने की बात चल रही है। मुझे लगता है कि ईस्ट यूपी का बहुत उद्धार हो जाएगा, अगर इस 16 किलोमीटर के दायरे को और बढ़ा दिया जाए। इसके आसपास के जो सारे पिछड़े जिले हैं, अगर उनको इससे सम्बद्ध करने का मौका देने पर मिनिस्टर साहब थोड़ा-सा कंसिडरेट व्यू लें और इसको और बढ़ाएं, तो इसका और फायदा आसपास के जिलों के तमाम दूसरे कालेजेज़ को मिल सकता है।

एक बात उन्होंने बहुगुणा कालेज के बारे में कही—हेमवती नन्दन बहुगुणा कालेज। वह सिर्फ़ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी पता नहीं, उसे क्यों नहीं लिया गया, जबकि दीन दयाल उपाध्याय कालेज को हमारे पिछले मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने इससे सम्बद्ध कर दिया था। हमें इस पर कोई एतराज नहीं कि दीन दयाल उपाध्याय कालेज को इससे सम्बद्ध किया जाये या ना किया जाये, लेकिन हेमवती नन्दन बहुगुणा कालेज को भी इससे संबद्ध कर लिया जाए। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। सिर्फ़ चार मिनट में मेरी स्पीच खत्म हो गई है।

DR. P.C. ALEXANDER (Maharashtra): Sir, I have great pleasure in welcoming this Bill. I had welcomed it most wholeheartedly when it was first brought before the House and I am very happy that the hon. Minister has taken the earliest opportunity to present the Bill again to this august House for its consideration and approval. Many distinguished speakers,

who spoke before me, spoke about the greatness of this institution. May I say that, in my student days, when there were only 21 Universities in the whole of India, we had always heard the name of the Allahabad University as topping the list of 21. The great Vice-Chancellors of this University, like Amarnath Jha, and great scholars, like Ishwari Prasad, were known to students far deep south in Kerala, when I was a student in my University. But it is also a fact that this University lived far too long on its past of glory and during the last quarter of a century, at least, 15-20 years, it had been on the decline. Politicisation not only at the students level but also at the teachers level, total neglect of research and inability to produce men of excellence in various disciplines, which it used to do in the past, all these have brought down the reputation of this great University and it was relegated to the list of mediocre Universities in this country. That is why people like me wholeheartedly welcomed it when the Bill came before the House with the hope that a great institution with a great past and a redoubtable future could be retrieved from the morass into which it had fallen and made again a Centre of Excellence. The Bill is to declare this institution as a Centre of National Importance.

I would like to make three or four points. Before I do that, may I know how many minutes are allotted to me?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have got three minutes.

DR. C.P. ALEXANDER: A great discipline that I have learnt after coming to the House is to convey one's views within three or four minutes. If I need one or two minutes more, I will crave your indulgence.

The first point that I would like to make is that there should be some criteria for accepting further Universities or institutions as Centres of National Importance. I am not disputing the claim of the Patna University which was pressed by one hon'ble member nor am I disputing the claims of other institutions which may come up for the consideration of the Minister. But it is necessary that the Ministry should lay down some criteria or guidelines for the recognition of an institution as a Centre of National Importance. Some Hon'ble members who spoke before me, talked about autonomy for universities. But it should be understood that when an institution is taken up as a centre of national importance, we should allow the Central Government to have a say in its management and the ideologies, objectives and programmes on which it should place importance in future. So it would be good if the Central Government, that is the Ministry of Human Resource Development, has a common Act for all Central universities, instead of having separate Acts for each university, as it is today. There is the Banaras University; there is the Pondicherry University and there are many other

institutions of national importance. Just as we in Maharashtra brought all the 18 or 19 universities of the state under one common Act in 1994 and introduced a uniformity regarding Government's control the degree of autonomy, etc. it Thus proved to be a great success. It in 1994. I would suggest for the consideration of the hon. Minister a uniform Act for all the Central institutions.

The third point is about the selection of the Vice-Chancellor. The existing procedures may be all right, but I would suggest that someone should interview the candidates who are recommended by the selection panel. If the expert panel, comes out with four or five names out of which one person is selected. But all Persons recommended by the panel, if I may speak based on my experience as the Chancellor of the universities in Maharashtra and Tamil Nadu, will have the same type of qualifications on paper. They would all have Ph.D. degrees; they would all have published books; they would all have guided research and they would all have done 25 to 30 years of teaching. Unless you interview a candidate at some level to assess not merely his academic merit, but also administrative ability through intelligent questions, it would be difficult to have a proper selection. At some level of the selection process, to assess the suitability of the candidates recommended. There should be an interview and arrive at a decision where on person is selected.

Finally, the Allahabad University should turn out to be a real national institution. While it has been nurtured by the State of Uttar Pradesh and it represents the culture of the great region of the north, it should develop the national character once it is a centre of national importance. There should be some guidelines from the Ministry to all institutions of national importance as to how they would take up subjects for research on national unity, communal harmony, national integration and other such problems which plague our country today. I am sure that Allahabad University will make its distinct contribution to the development of national unity and integration. I wish the University all success in its new avtaar. Thank you.

श्री मोती लाल बोरा (छत्तीसगढ़) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं दिल की गहराइयों से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि लगातार अनेक वर्षों से, अनवरत रूप से इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग होती रही है। मैं माननीय अर्जुन सिंह जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस पवित्र कार्य को अंजाम दिया।

माननीय उपसभापति जी, मैंने आप से दो मिनट का समय मांगा है, मैं दो मिनट में ही अपनी बात पूरी करूंगा। उत्तर प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में मुझे जाने का मौका

मिला है और लगभग तीन वर्षों तक मैंने उन की दिशा देखी है। उस दशा को देखने के बाद लगता था कि जिस विश्वविद्यालय से हम आशा रखते हैं कि वहां से अच्छे छात्र निकलेंगे और वे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, मुझे खुशी हुई कि उस दिशा में प्रयास हुआ और माननीय अर्जुन सिंह जी ने इस कार्य में अपना भारी योगदान दिया है।

माननीय उपसभापति जी, देश की आजादी की लड़ायी में, जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस विधेयक में भी आपने कहा है कि राष्ट्रीय महत्व की इस संस्था के, जिस का अपना एक राष्ट्रीय महत्व हो, केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन जाने के बाद, मुझे आशा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वही नाम होगा जो नाम देश की आजादी की लड़ायी के समय था। शिक्षा के क्षेत्र में क्या व्यवस्था होगी, इसका निर्धारण तो माननीय अर्जुन सिंह जी करेंगे, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मामले में एक बात जरूर थी कि अंग्रेजों को अगर किसी विश्वविद्यालय से खौफ होता था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, क्योंकि ऐसे साहित्यकार और राजनीति को जानने वाले ऐसे लोग जो छात्र के रूप में वहां से निकले थे, उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र प्रतिभाशाली होंगे, शिक्षा की व्यवस्था में, प्रबंधन में सुधार होगा और सुधार होने के साथ-ही-साथ इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय उपसभापति जी, मुझे याद है कि लखनऊ में डा० अम्बेडकर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग हुई थी। श्री राजीव गांधी जी ने उसकी आधारशिला रखी थी और जब श्रीमती अम्बेडकर लखनऊ में पहुंची थीं, उस वक्त उस विश्वविद्यालय की शुरुआत नहीं हुई थी। मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि उस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्होंने उसकी स्वीकृति दी। आज डा० बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय भी लखनऊ में अपनी प्रतिभा को, अपने गौरव को कायम करने में सक्षम हुआ है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय सब तो नहीं बन सकते, लेकिन जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में हमारी शिक्षा का जो स्तर है, उसमें जब तक हम स्तर को ऊंचा नहीं कर पाएंगे, तब तक केवल विश्वविद्यालय बनाने से नहीं होगा, केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने से ही इसकी पूर्ति नहीं होगी। उसमें हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा किए जाने की जरूरत है, क्योंकि आज देश को अच्छे शिक्षाशास्त्रियों की आवश्यकता है, जिनका दिनों-दिन अभाव होता जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः माननीय अर्जुन सिंह जी को ऐसा विधेयक लाने के लिए, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तीन छात्र मुझे यहां नजर आ रहे हैं, चौथा छात्र तो मुझे दिखता नहीं — माननीय श्री अर्जुन सिंह जी, श्री जनेश्वर मिश्र जी और श्री जनार्दन द्विवेदी जी — यहां बैठे हैं। ... (व्यवधान) ... जी हां, मैंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने छात्र यहां बैठे हैं, उन्हें इस बात का आनन्द होगा। ... (व्यवधान) ... जय राम रमेश जी जिस विश्वविद्यालय के छात्र रहे होंगे, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र होने का गौरव जिनको प्राप्त है, उनको अधिकाधिक खुशी होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने किसी-न-किसी रूप में इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में योगदान दिया है। स्टैंडिंग कमेटी के सम्मानित सदस्यों का और उसके बाहर भी जिन्होंने अपने स्वयं के प्रयासों और कृतित्व से आज यह अवसर इस राज्य सभा को दिया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें दो मत नहीं हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय केवल एक विश्वविद्यालय ही नहीं है, वह राष्ट्र का, विद्या का एक ऐसा स्थल है, जिसने हजारों लोगों को प्रेरणा दी है कि वे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकें। जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको इस विश्वविद्यालय ने इस प्रकार का समाज में योगदान करने को सक्षम बनाया, जिससे समाज का उन्नयन हुआ और सभी विधाओं को समाज में अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए प्रयास हो सके। चूँकि इस विधेयक में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं है, और उद्देश्य के प्रति सभी की मान्यता है, इसलिए मैं इस डिबेट को ज्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ। अपनी ओर से मैं एक ही आश्वासन दे सकता हूँ कि जो कुछ भी यहां करने की कोशिश होगी, वह प्रजातांत्रिक मान्यताओं के आधार पर, शिक्षा के मानदंडों के आधार पर, जो इस देश के इतिहास के अनुकूल हैं, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की परिभाषाओं के अनुकूल हैं, करने की कोशिश होगी और उसमें भी आप ही लोगों का योगदान मिलेगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

जो अलग-अलग सुझाव यहां पर दिए गए हैं, उपसभापति महोदय, उनमें से कुछ सुझावों को कार्यान्वित करने का अधिकार और भार विश्वविद्यालय को, उसकी जो अलग-अलग कमेटी होंगी, उनको रहेगा और जो जहां जैसा संभव, उचित माना जाएगा, विश्वविद्यालय को उन अमेंडमेंट्स को लाने की पूरी छूट है। अभी तो स्टैंडिंग कमेटी ने जो सुझाव अमेंडमेंट्स के दिए हैं, उनमें से जो नितान्त आवश्यक हैं, उनको स्वीकार किया गया है और उन्हें संशोधन के रूप में आपकी अनुमति से मैं प्रस्तुत करूंगा।

उपसभापति महोदय, हम सबकी एक ही अभिलाषा है, हम कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे सकते, लेकिन महानता को फिर से प्राप्त करने के लिए इस विश्वविद्यालय में जो कुछ आवश्यक था, उसके लिए निमित्त मात्र जरूर बन सकते हैं और वही निमित्त मात्र ही बनकर हम सब लोग इस विधेयक को पास करके और भारत के विश्वविद्यालयों के गरिमामयी इतिहास में इस इतिहास को फिर से, जो विश्वविद्यालय का अतीत था, वहीं उसका सुंदर भविष्य बनकर सामने आए, यही हम सब लोगों की कोशिश रहेगी। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Question is:—

"That the Bill to declare the University of Allahabad to be an institution of national importance and to provide for its incorporation

and matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 7, there are two amendments (Nos. 3 and 4) by the hon. Minister.

Clause 7—Powers of University

SHRIARJUN SINGH: Sir, I move:—

7. That at page 4, line 45, **for** the bracket and Roman numeral "(xvi)" the bracket and Roman numeral "(xiv)" **substituted**.

8. That at page 5, line 7, **after** the word "Colleges" the words "and the Constituent Institutes" be **inserted**.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 10, there is one amendment No. 5 by the hon. Minister.

Clause 10 - The Visitor

SHRIARJUN SINGH: Sir, I move:

(5) That at page 5, line 48, **after** the word "buildings" the word "libraries," be **inserted**.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

Clauses 11-13 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 14, there is one amendment No. 6 by the hon. Minister.

Clause 14 - The Vice-Chancellor

SHRIARJUN SINGH: Sir, I move:

(6) That at page 7, line 22, **after** the word "authority" the words "at its next meeting" be **inserted**.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

Clauses 15-46 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Schedule, there are six amendments (Nos. 7-12) by the hon. Minister.

Schedule - The Statutes of the University

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I move:

- (7) That at page 18, line 1, ***for*** the word "sixty" the word "sixty-two" be ***substituted***.
- (8) That at page 18, line 2, ***for*** the word "sixty" the word "sixty-two" be ***substituted***.
- (9) That at page 21, ***for*** lines 8 to 10, the following be ***substituted***, namely:—

"(i) ~~three~~ representatives of Parliament, two to be elected by the Lok Sabha from amongst its own members, in such manner as the Speaker may direct, and one to be elected by the Rajya Sabha from amongst its own members, in such manner as the Chairman may direct."

- (10) That at page 21, line 13, ***for*** the word "nomination" the words "election to the Court" be ***substituted***.
- (11) That at page 24, line 14, ***after*** the word "persons" the words "of academic excellence" be ***inserted***.
- (12) That at page 29, line 12, ***for*** the words "Reader or any other academic post in the University, at the case may be," the words "any other equivalent academic post in the University" be ***substituted***.

The questions were put and the motions were adopted.

The schedule, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 1, there is one amendment No. 2 by the hon. Minister.

Clause - 1 Short title and commencement

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I move:

- (2) That at page 1, line 2, ***for*** the figure "2004", the figure "2005" be ***substituted***.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Enacting Formula, there is one amendment No. 1 by the Hon. Minister.

Enacting Formula

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I move:

(1) That at page 1, line 1, **for** the word "Fifty-fifth", the word "Fifty-sixth" be **substituted**.

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The title was added to the Bill.

श्री अर्जुन सिंह: उपसभापति महोदय, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस विधेयक को पारित करने के लिए निवेदन करूँ। Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned for lunch to meet at 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at twenty-eight minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

STATEMENT BY MINISTER

Meningococcal Disease

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): Sir, meningococcal disease is an acute bacterial disease caused by the bacterium *Meningococcus* and is manifested by sudden onset of fever, severe headache, nausea and vomiting, stiff neck and frequently a petechial rash with pink macules and very rarely vesicles often accompanied by delirium and coma. Occasionally, fulminating cases exhibit severe sudden prostration, ecchymoses and shock at onset. The causative agent at present is known to have 12 serogroups. Serogroups A, B, C are the commonest and have epidemic potential. Other serogroups to name a few W-135, Z, Y, Z etc. are less virulent.